प्रेस विज्ञप्ति

संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 823/52-3-2024-52-3099/109/2023 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के क्रम मे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 1675/अ0सं0नि0-1638/दशमो0छात्र0शु0प्र0/2024-25 दिनांक 11 जुलाई, 2024 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 मे दशमोत्तर छात्रवृत्ति(कक्षा 11-12) एवं उच्च कक्षाओं मे सम्बंधित मास्टर डाटाबेस तैयार करने सत्यापन करने एवं छात्रों को आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन से वितरण तक की निर्गत समय सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सम्बंधित शिक्षण संस्थान मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के साथ निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की गयी है :-वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 मे दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु समय सारिणी

क्र0सं	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
1	विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना।	10 जुलाई, 2024 से 05 दिसम्बर, 2024 तक।
2	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन - सम्बंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटो की संख्या एवं प्रोफाइल को ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	12 जुलाई, 2024 से 10 दिसम्बर, 2024 तक।
3	छात्र/छात्राओ द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	12 जुलाई, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक।
4	आनलाइन आवेदन की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नको सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	07 जनवरी, 2025 तक।
5	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना - छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखो से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	15 जुलाई, 2024 से 16 जनवरी, 2025 तक।
6	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रो का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना।	17 जनवरी, 2025 से 20 फरवरी, 2025 तक।
7	त्रुटिपूर्ण आवेदन का छात्रों के स्तर से सही करना- छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	29 जनवरी, 2025 से 05 फरवरी, 2025 तक।
8	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना। शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 फरवरी, 2025 तक।
9	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी (डी0एन0ओ0) के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना	03 दिसम्बर, 2024 से 05 मार्च, 2025 तक।

अतः उपरोक्तानुसार सम्बन्धित प्रधानाचार्यो/प्रबंधको को निर्देशित किया जाता है कि निर्गत समय-सारिणी में दी गई समयावधि में अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।
o/c

कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी-लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक 154 /अ0सं0क0/राज्य छात्र0/दशमोत्तर /2024-25 दिनांक 18/07/2024

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, लखीमपुर-खीरी।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखीमपुर-खीरी।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर-खीरी को इस अनुरोध के साथ कि सम्बंधित समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को उपरोक्तानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सहायक सूचना निदेशक, लखीमपुर-खीरी को 5 प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति जनहित मे निःशुल्क दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।
o/c

छात्रवृत्ति सम्बन्धी आवश्यक सूचना

महाविद्यालय में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2024 निर्धारित है। अतः समस्त छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति फॉर्म निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन करा महाविद्यालय में जमा करें। अन्यथा की स्थिति में स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आज्ञा से:

प्राचार्य